भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2264
सोमवार, 05 अगस्त, 2024/14 श्रावण, 1946 (शक)

बेरोजगारी की स्थिति

2264. श्री बैन्नी बेहनन:
श्री के. राधाकृष्णन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में बेरोजगार व्यक्तियों की कुल संख्या संबंधी नवीनतम आंकड़ों का राज्य-वार और आयु वर्ग-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा बेरोजगारी दर में 7 प्रतिशत की वृद्धि से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी कौशल संबंधी अंतर को दूर करने और कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण में वृद्धि करने के लिए क्या पहल की गई है;

(घ) सरकार द्वारा रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) को सहायता प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार ने समग्र अर्थव्यवस्था पर बढ़ती बेरोजगारी दर के कारण आर्थिक प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या बेरोजगारी दर को कम करने और सतत रोजगार वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार के पास कोई दीर्घकालिक रणनीति है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) से (छ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि, प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) में नीचे दी गई तालिका के अनुसार घटती प्रवृत्ति है:

वर्ष	यूआर (% में)
2017-18	6.0
2018-19	5.8
2019-20	4.8
2020-21	4.2
2021-22	4.1
2022-23	3.2

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और आयु समूह-वार ब्यौरा अनुबंध में हैं।

भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं के तहत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुन: कौशल और अप-कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से देश भर में आंध्र प्रदेश राज्य सहित समाज के सभी वर्गों को प्रदान की जाती है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग के लिए प्रासंगिक कौशल से सुसज्जित करके भविष्य के लिए तैयार होने में सक्षम बनाना है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता है, जिससे अधिक रोजगार सृजित होते हैं। इन योजनाओं और कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), सूक्ष्म एवं लघु उद्यम- क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), एमएसएमई प्रदर्शन को बढ़ाना और तेज करना (आरएएमपी) आदि शामिल हैं।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि अलग-अलग रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि, जो पूंजीगत व्यय में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार सृजन को बढ़ावा देना चाहती है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और अवसरों की प्रधान मंत्री पैकेज की घोषणा की है।

*****

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 05.08.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2264 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति पर विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर (यूआर) का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण (% में)

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	15-29 वर्ष	15-59 वर्ष	15 वर्ष एवं उससे ऊपर
1	आंध्र प्रदेश	15.7	4.4	4.1
2	अरुणाचल प्रदेश	17.6	5.1	4.8
3	असम	4.3	1.7	1.7
4	बिहार	13.9	4.3	3.9
5	छत्तीसगढ	7.1	2.7	2.4
6	दिल्ली	6.1	2.0	1.9
7	गोवा	27.4	10.0	9.7
8	गुजरात	5.1	1.8	1.7
9	हरियाणा	17.5	6.4	6.1
10	हिमाचल प्रदेश	12.5	5.0	4.3
11	झारखंड	4.7	1.8	1.7
12	कर्नाटक	8.5	2.6	2.4
13	केरल	28.7	8.4	7.0
14	मध्य प्रदेश	4.4	1.7	1.6
15	महाराष्ट्र	10.9	3.4	3.1
16	मणिपुर	19.7	5.0	4.7
17	मेघालय	18.0	6.2	6.0
18	मिजोरम	11.9	2.3	2.2
19	नागालैंड	18.5	4.6	4.3
20	ओडिशा	13.8	4.3	3.9
21	पंजाब	17.5	6.7	6.1
22	राजस्थान	12.5	4.9	4.4
23	सिक्किम	10.2	2.4	2.2
24	तमिलनाडु	17.5	4.8	4.3
25	तेलंगाना	15.1	4.6	4.4
26	त्रिपुरा	6.1	1.5	1.4
27	उत्तराखंड	14.2	4.9	4.5
28	उत्तर प्रदेश	7.0	2.6	2.4
29	पश्चिम बंगाल	7.1	2.3	2.2
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	24.6	10.3	9.7
31	चंडीगढ़	7.2	4.1	4.0
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	4.4	2.6	2.5
33	जम्मू एवं कश्मीर	13.7	4.8	4.4
34	लद्दाख	28.1	6.7	6.1
35	लक्षद्वीप	41.6	11.6	11.1
36	पुडुचेरी	23.2	6.1	5.6
अखिल भारत		**10.0**	**3.4**	**3.2**

स्रोतः पीएलएफएस, एमओएसपीआई